एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5752/2002

मैसर्स श्री गजानन्द एण्ड कम्पनी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

20.2.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री संदीप पाठक, अधिवक्ता याची।

श्री बी.एस.छाबा, उप राजकीय अधिवक्ता।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। याची ने इस रिट याचिका में खनि अभियन्ता, धौलपुर के आदेश दिनांक 11.6.2002 को चुनौती दी है तथा इस न्यायालय से अयाची के विरुद्व यह समादेश चाहा है कि उन्हें पाबन्द किया जावे कि वे उसका ठेका निरस्त नहीं करें तथा उसकी जमानत राशि 25,00,000/- रुपये एवं अग्रिम जमा राशि 16,93,542/- रुपये की राशि तब तब जप्त नहीं करे जब तक वे उसके द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन का निस्तारण नहीं कर देवें।

इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.8.2002 से पक्षकारान को यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था। उक्त आदेश को आदेश दिनांक 11.2.2003 से संशोधित किया गया। संशोधित आदेश के द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 28.8.2002 को इस निर्देश के साथ संशोधित किया गया कि अयाचीगण याची को उसके विरुद्व समस्त बकाया राशि का विवरण-पत्र उपलब्ध करायेंगे एवं याची को उसके द्वारा जमा करायी गयी राशि के समायोजन के पश्चात शेष देय राशि का भुगतान ऐसा विवरण-पत्र उपलब्ध कराये जाने से 15 दिवस के अन्दर करना होगा अन्यथा उक्त स्थगन आदेश स्वत: ही निरस्त हुआ माना जायेगा।

विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात मैं इस मत का हूं कि इस याचिका में उठाये गये तथ्य सम्बन्धी बिन्दुओं का परीक्षण राजस्थान प्रधान एवं अप्रधान खनिज नियम 1986 के अन्तर्गत उच्च अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के तहत उचित रुप से किया जा सकता है। ऐसे आदेश के विरुद्व नियम 43 के तहत अपील का उपचार उपलब्ध है। यघपि खनि अभियन्ता, धौलपुर द्वारा नया आदेश दिनांक 11.3.2003 को पारित कर दिया गया है, जिसमें याची के विरुद्व कुल 1,63,03,160/- रुपये की वसूली निकाली गयी है, परन्तु याची का कथन है कि उसके द्वारा रिट याचिका के पैरा 15 में उल्लेखित विवरण के अनुसार कुल 96,61,542/- रुपये की राशि का भुगतान अयाचीगण को कर दिया गया है परन्तु यदि शेष राशि के बारे में भी कोई विवाद है तो याची को उसे चुनौती देने हेतु निदेशक खान, राजस्थान सरकार के समक्ष अपील का उपचार उपलब्ध है। याची ने जो अनुतोष इस याचिका के माध्यम से चाहा है एवं जो आधार लिये हैं वे समस्त आधार लेते हुए याची निदेशक खान के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। यदि याची इस आदेश से 45 दिवस की अवधि में निदेशक खान के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है तो निदेशक खान से यह अपेक्षा की जाती है कि याची के द्वारा ऐसी अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपील प्रस्तुतिकरण से दो माह की अवधि में उक्त अपील का निस्तारण आवश्यक रुप से कर देंगे। यह रिट याचिका इसी प्रकार निस्तारित की जाती है। पक्षकारान अपना व्यय स्वयं वहन करें।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति